भारत सरकार
रक्षा मंत्रालय
रक्षा विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2581
04 दिसम्बर, 2019 को उत्तर के लिए

एमईएस कर्मचारियों का स्थानान्तरण

2581. श्री एन. रेड्डप्पः
श्री दयाकर पसुनूरीः

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन नीतिगत निर्णयों सहित दिशा-निर्देशों का ब्यौरा क्या है जिनके अंतर्गत सैन्य अभियांत्रिकी सेवा (एमईएस) के सिविलियन कर्मचारी जिनके पति या पत्नी सिविल सेवा में हैं शासित किए जा रहे हैं ;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान अन्य स्टेशनों पर स्थानांतरित किए गए कर्मचारियों जिनके पति या पत्नी सरकारी नौकरी में हैं की रैंक-वार संख्या कितनी है;

(ग) उन कर्मचारियों की संख्या क्या है जिन्होंने अपने पति या पत्नी के कार्यस्थल पर ही स्थानान्तरण के लिए सीएटी से अनुरोध किया है; और

(घ) क्या सीएटी के आदेशों के बावजूद भी कुछ कर्मचारियों का स्थानान्तरण नहीं किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में विद्यमान दिशा-निर्देशों को अनुमति प्रदान करने के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद नाईक)

(क): सैन्य अभियांत्रिकी सेवा (एमईएस) के सिविलियन कर्मचारी, जिनके पति/पत्नी सिविल सेवा में है, उन्हीं दिशा-निर्देशों के अनुरूप शासित किए जाते हैं, जो भारत सरकार के वर्तमान दिशानिर्देशों एवं नियमों के अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों पर लागू होते हैं।

(ख) से (घ): सूचना एकत्र की जा रही हैं एवं सभा पटल पर रख दी जाएगी।

***